RTI/Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

76

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/विविध/2016-17

20 सितंबर, 2016

सेवा में,

श्री राजेश कुमार साहू
पुत्र श्री प्रहलाद दास साहू
पो. कचनी, वैलोहाटोला
वाया अमलोटी, जिला सिंगरौली,
मध्य प्रदेश, पिन-486887

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 01 सितंबर, 2016 का पत्र जोकि इस सचिवालय में 15 सितंबर, 2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ. संख्या 38F 726624 संलग्न कर अपने पूर्व प्रेषित पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्रों की विषय-वस्तु भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से संबंधित होती है तथा सभी आवेदन ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत सचिव, कोयला मंत्रालय को अग्रसारित किए जाते रहे हैं। इस विषय में श्री सुजीत कुमार, अवर सचिव, कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. फा.सं. 49026/18/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1(पार्ट-5) दिनांक 08 जुलाई, 2016 के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया है कि आपके पत्र उन्हें मिलते रहते हैं और उनका उत्तर वे आपको भेजते रहते हैं परंतु अब इस विषय में आपके द्वारा भेजे गये पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

अतः आपका आवेदन पत्र मूल रूप में दस रूपये के पो.आ. संख्या 38F 726624 सहित आपको लौटाया जा रहा है तथा आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में भविष्य में सीधे कोयला मंत्रालय से ही संपर्क करें। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपको भेजे गये पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/C

Harsingh
20/9/16

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

फा.सं. 49026/18/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1 नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त,2016

सेवा में

Vice President's Secretariat Dy No. 991 Date 8/8/16 New Delhi

श्री राजेश कुमार साहू,
सुपुत्र श्री प्रहलाद दास साहू,
पोस्ट कचनी (वैलोहाटोला),
वाया अमलोरी, जिला सिंगरौली-486 887, मध्य प्रदेश

विषय: सीपीआईओ, राष्ट्रपति सचिवालय को संबोधित तथा सीपीआईओ, कोयला मंत्रालय को संबोधित आवेदक श्री राजेश कुमार साहू, सिंगरौली को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना देने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया सीपीआईओ, कोयला मंत्रालय को संबोधित अपने आरटीआई पत्र दिनांक 1.7.2016 (संबंधित अनुभाग में दिनांक 21.7.2016 को प्राप्त) तथा उप-राष्ट्रपति सचिवालय से उनके फा.सं. वीपीएस-55/01-आरटीआई/55/2016-17, दिनांक 13.7.2016 के साथ आपका आरटीआई पत्र दिनांक 1.7.2016 (संबंधित अनुभाग में दिनांक 21.7.16 को प्राप्त) में उल्लिखित किए गए पत्रों पर, वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है, की जानकारी मांगी है ।

2. इस संबंध में, आपको यह सूचित किया जाता है कि इस अनुभाग में दिनांक 8.7.2016 तक आपके जो भी पत्र विभिन्न माध्यमों से एक ही प्रकार के पत्र ' विषय- भारत की अधिसूचना संख्या 660, दिनांक 4.2.1982 द्वारा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि वापिस किए जाने के संबंध में' प्राप्त हुए थे, उस पर मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 8.7.2016 के माध्यम से संक्षिप्त ब्यौरे सहित आपको जवाब भेजा जा चुका है और साथ ही मंत्रालय ने आपको यह भी सूचित किया था कि 'मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि आपके उपरोक्त विषय से संबंधित प्राप्त पत्रों पर भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और साथ ही आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप उपरोक्त विषय पर कोई पत्राचार नहीं करेंगे ।' (प्रतिलिपि पुन: संलग्न) ।

3. इस मामले के संबंध में, श्री एच.एम.मीणा, उप सचिव, कोयला मंत्रालय, पांचवीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,नई दिल्ली प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे ।

भवदीय,

(सुजीत कुमार)
सीपीआईओ तथा अवर सचिव

प्रतिलिपि:- 1. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली-110 011 को उनके फा.सं. वीपीएस-55/01-आरटीआई/55/2016-17, दिनांक 13.7.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

1. डी.डी.ओ., कोयला मंत्रालय को रू. 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 725456 सरकारी खजाने में जमा करने हेतु प्रेषित ।